

मूल्य : 250.00 रू0 मात्र

बेतवा विहार आवासीय योजना
में
ग्रुप हाऊसिंग योजना के
फलैट हेतु पंजीकरण
पुस्तिका



हमारा प्रयास – सबके लिए आवास

आँसी विकास प्राधिकरण, आँसी

बेतवा विहार आवासीय योजना पंजीकरण पुस्तिका

बुन्देलखण्ड मण्डल के मुख्यालय के रूप में अवस्थित झाँसी नगर अपने ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के लिये विश्वविख्यात है। नगर के नियोजित विकास तथा जन सामान्य की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा बेतवा विहार आवासीय योजना के विकास कार्य प्रगति पर हैं। इस योजना में व्यवस्थित पक्की सड़कें, बरसाती जल के निकास हेतु नाले व नालियों, पेयजल हेतु पानी की लाइन, बिजली के खम्भे एवं विकसित पार्क के साथ-साथ मार्ग के दोनों ओर पेड़ आदि का प्राविधान किया गया है। झाँसी नगर की इस योजना में प्रथमबार मल निकासी हेतु सीवर लाईन डालने तथा उसके निस्तारण हेतु प्राविधान किया गया है। जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्राविधान किया गया है। इसके साथ-साथ आवासीय कालोनी के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु दुकानें भी प्रस्तावित है तथा अन्य जन सुविधाओं का भी प्राविधान किया गया है।

1. स्थिति (Location) :-

यह योजना कानपुर-ग्वालियर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग व झाँसी उन्नाव बालाजी मार्ग पर ग्राम बूढा के पास है। यह योजना रेलवे स्टेशन से लगभग 7.00 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

2. महत्ता :-

उक्त आवासीय योजना कानपुर-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग (बाईपास) एवं झाँसी-उन्नाव बालाजी मार्ग के समीप स्थित है। योजना में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग से ही 24 मी० चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया गया है प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना में मध्य आय वर्ग हेतु फ्लैटों का प्राविधान किया गया है ताकि जनसामान्य उक्त योजना से उचित मूल्य पर फ्लैट प्राप्त कर लाभान्वित हो सके। फ्लैटों से संबंधित पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय दिनांक 05.11.2018 से 04.12.2018 तक किया जायेगा तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि दिनांक 05.12.2018 होगी।

3. पंजीकरण धनराशि :-

- (1) आवेदन पुस्तिका निर्धारित शुल्क जमा कर स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा फोर्ट, झाँसी के काउन्टर से प्राप्त की जा सकेगी।
- (2) आय प्राप्ति की स्थिति में पंजीकरण हेतु अपेक्षित पंजीकरण धनराशि का उल्लेख तालिका 01 व 02 में किया गया है जिसके अनुसार ही आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण धनराशि संबंधित बैंक में जमा कराई जायेगी।
- (3) पंजीकरण धनराशि का भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा नगद धनराशि के रूप में ही किया जा सकेगा जिसको संबंधित बैंक में जैसा कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न चालान फार्म में उल्लिखित है के माध्यम से जमा करना होगा।
- (4) प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि या उस पर ब्याज देने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जिसका जमा होना, बैंक की गलती अथवा जमा करने वाले व्यक्ति की गलती से, सत्यापित न हो। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
- (5) यदि निर्धारित समय के अन्दर आवंटी द्वारा निर्धारित भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्धारित तिथि से 03 माह तक धनराशि का भुगतान 16 प्रतिशत साधारण ब्याज (13 प्रतिशत ब्याज + 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज) के साथ करना होगा। 03 माह तक धनराशि का भुगतान न होने पर प्राधिकरण को भुगतान की अवधि बढ़ाने या आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (6) पंजीकरण प्रमाण पत्र के खो जाने पर आवेदक को प्राधिकरण कार्यालय में 50.00 (रु० पचास मात्र) जमा करना होगा ताकि पंजीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी की जा सके।

तालिका-01

कानपुर ग्वालियर बाई पास पर ग्राम बूढ़ा चौराहा स्थित बेतवा विहार आवासीय योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अफोडेबल ग्रुप हाऊसिंग में फ्लैटों का विवरण

क्र. सं.	वार्षिक आय सीमा (रु० में)	फ्लैट श्रेणी	फ्लैटों की संख्या	फ्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	फ्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	फ्लैट का सुपर एरिया (वर्ग फुट में)	पंजीकरण धनराशि (रु० में)	फ्लैट का अनुमानित मूल्य	वर्ग हेतु आरक्षित
1	2	3	4	5	6		6	7	8
1-	06 लाख से अधिक एवं 12 लाख से कम	M.I.G. Type-A Flat Semi Finished	250	74.32	800	1000	दो लाख 2,00,000	बीस लाख 20,00,000	शासनादेशा नुसार
2-	06 लाख से अधिक एवं 12 लाख से कम	M.I.G. Type-B Flat Semi Finished	110	111.50	1200	1500	तीन लाख 3,00,000	तीस लाख 30,00,000	शासनादेशा नुसार

आवेदक एवं उसका परिवार (पति, पत्नी एवं उसके अवयस्क बच्चे) के पास स्वयं का पक्का मकान नहीं होने पर बैंक से लोन लेने पर मूलधन + ब्याज जोड़कर रु. 2.50 लाख की छूट मिलेगी। (ऋण 20 वर्ष की किश्तों में भुगतान करना होगा) इस संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (वेबसाइट www.pmaymis.gov.in) अवलोकनीय है।

टिप्पणी:-

- (1) भवनों का आकार, स्थिति एवं उनकी दरें घट बढ़ सकती हैं। जिसके लिये पंजीकृत व्यक्ति को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
- (2) आवंटी को भवन के वास्तविक माप के अनुसार सम्पूर्ण भुगतान विक्रय विलेख से पूर्व करना होगा।
- (3) फ्लैट का आकार/सम्पत्ति का अनुमानित विक्रय मूल्य/पंजीकरण हेतु जमा धनराशि/अदायगी की अवधि एवं किश्तों में उपाध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण के निर्णय एवं शासन के आदेशानुसार संशोधन किया जा सकता है।
- (4) महिला आवेदक होने की स्थिति में फ्लैट की रजिस्ट्री के साथ स्टाम्प में शासनादेशानुसार छूट मिलेगी।

4. पात्रता:-

- (1) आवेदक भारत का नागरिक/अप्रवासी भारतीय होना चाहिये।
- (2) आवेदन के समय आवेदक वयस्क हो।
- (3) आवेदक की आय नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र द्वारा प्रमाणित हो और उस आय सीमा के अन्तर्गत हो जिस आय सीमा में आवेदन किया गया हो।
- (4) आवासीय फ्लैट के आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा उसके अवयस्क बच्चों से है।) के पास झाँसी विकास क्षेत्र में झाँसी विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, किसी स्थानीय निकाय एवं सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में अथवा निजी पक्का आवासीय भवन नहीं होना चाहिये
- (5) आवेदक को आवेदन पत्र पर स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो यथा स्थान चस्पा करना होगा।

5. आवंटन के लिए शर्तें :-

- (1) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आय सीमा (वार्षिक रु. 6 लाख से अधिक एवं 12 लाख से कम) में निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पंजीकरण की अन्तिम तिथि निकलने के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि अन्तिम तिथि बढ़ाने का निश्चय किया जाता है तो इसकी सूचना दैनिक समचार पत्र में विज्ञापन द्वारा दी जायेगी।

- (3) यदि पंजीकरण अवधि समाप्त होने के पश्चात भवनों की संख्या में कतिपय परिवर्तन अथवा पंजीकरण के वापस लेने/निरस्त होने के फलस्वरूप पुनः पंजीकरण की आवश्यकता उत्पन्न हो तो उपाध्यक्ष की स्वीकृति से इसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अथवा प्रकाशित करके पंजीकरण किया जा सकता है।
- (4) आवेदक को पंजीकरण हेतु निर्धारित फार्म (संलग्न है) के साथ 10.00 रुपये का नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित घोषणा पत्र हेतु शपथ पत्र देना होगा, जो नोटरी द्वारा प्रमाणित होगा।
- (5) फ्लैटों के इच्छुक क्रेताओं को निर्धारित 250.00 रुपये के मूल्य पर पंजीकरण पुस्तिका उपलब्ध कराई जायेगी। प्राधिकरण वेबसाइट से डाऊनलोड किये जाने की दशा में पुस्तिका मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, झाँसी विकास प्राधिकरण के पक्ष में झाँसी पर होगा, अलग से संलग्न करना होगा।
- (6) पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जायेगा तथा पंजीकरण पुस्तिका क्रय करने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर किसी अन्य का नाम बदल जाने के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (7) विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति/पत्नी/अवयस्क बच्चों के नाम किया जा सकेगा, यदि ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण नहीं है, परन्तु यह प्रतिबंध होगा कि वह उन सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा जो आवेदक इच्छुक क्रेता द्वारा की जाती है।
- (8) किसी योजना में किन्हीं विशेष वर्गों के लिये आरक्षण शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार होगा।
- (9) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को प्राधिकरण फ्लैट देने के लिये बाध्य नहीं है और यदि किसी आवेदक को वांछित सम्पत्ति नहीं मिल पाती तो इसके लिये वह प्राधिकरण से किसी प्रकार का प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- (10) प्राधिकरण की योजनाओं में ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को जिनकी सम्पूर्ण भूमि और भवन इस योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत की जा चुकी है, को भूखण्डों के आवंटन में प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार वरीयता दी जायेगी और इसके अन्तर्गत उनके पंजीकरण किये जायेंगे।
- (11) आवेदन पूर्ण रूपेण व सही भरा होना चाहिये। निर्धारित अभिलेख संलग्न होने चाहिये अन्यथा आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (12) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किसी भी कथन/प्रमाण के मिथ्या पाये जाने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (13) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण झाँसी को बिना कारण बताये आवंटन निरस्त करने का अधिकारी होगा।
- (14) झाँ0वि0प्रा0 से विवाद उत्पन्न होने पर सभी विवाद झाँसी नगर के न्यायालयों के अधीन होंगे।

7. भुगतान करने की पद्धति :-

- (1) आवंटी को दायित्वों का भुगतान दिये गये निर्देशों के अनुसार, विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत बैंक को जैसा कि निर्देशित किया गया है, करना होगा।
- (2) पंजीकरण से संबंधित धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण तिथि तक अधिकृत बैंक से प्रत्येक कार्यदिवस में संलग्न चालान के साथ नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी जिसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया है। पंजीकरण धनराशि चैक/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से स्वीकार न होगी।
- (3) विवरण पुस्तिका में उल्लिखित फ्लैट के प्रस्तावित मूल्य/प्रीमियम को संशोधन करने अथवा वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को होगा। इस बिषय में आवंटी को भेजे गये लिखित पत्र या समाचार पत्र में विज्ञापन सूचना पर्याप्त मानी जायेगी।
- (4) आवेदक को फ्लैट आबंटित होने पर उसे धनराशि आवंटन पत्र के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा। यदि समय के अंदर भुगतान नहीं होता है तो आवंटन धनराशि जमा करने हेतु निर्धारित तिथि से वास्तव में भुगतान करने की तिथि तक 16 प्रतिशत वार्षिक दर (13 प्रतिशत ब्याज + 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज) अथवा उस पर जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा भुगतान करना होगा।

- (5) सफल आवंटी को आवंटन हेतु जमा धनराशि पंजीकरण एवं आवंटन राशि के समायोजन के पश्चात् शेष राशि 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 24 त्रैमासिक समान किश्तों में जमा करनी होगी। मध्यम आय वर्ग के सफल आवंटी को देय तिथि के पश्चात किश्त जमा करने पर 13-प्रतिशत ब्याज व 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा परन्तु उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को किश्तों की संख्या व अवधि में पर्याप्त कारण होने पर आवश्यकतानुसार अपने विवेक से कमी बेसी करने का अधिकार होगा। लगातार दो किश्तों का भुगतान समय पर न किये जाने की स्थिति में आवंटन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।
- (6) यदि कोई आवंटी आवंटन राशि जमा करने के बाद शेष धनराशि कम अवधि में देना चाहता है तो ऐसी दशा में सुविधा प्रदान की जायेगी।
- (7) यदि पंजीकृत व्यक्ति एकमुश्त भुगतान पर फ्लैट क्रय करना चाहता है और उसके पक्ष में नियमानुसार आवंटन हुआ है तो उसके द्वारा पंजीकरण हेतु जमा धनराशि समायोजित करने के उपरान्त भवन/फ्लैट की अवशेष धनराशि आवंटन पत्र जारी किये जाने के एक माह के अन्दर देय होगी और देय तिथि पर भुगतान न करने पर जमा करने की देय तिथि से भुगतान के दिनांक तक (अधिकतम दो माह) 13 प्रतिशत वार्षिक व्याज व 3 प्रतिशत वार्षिक दण्ड ब्याज अतिरिक्त कुल 16 प्रतिशत वार्षिक अथवा उस दर पर जो निर्धारित की जाए, ब्याज भी देय होगा। अवशेष धनराशि देय व्याज सहित जमा न करने की दशा में आवंटन निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि का 10 प्रतिशत काट कर उसके द्वारा उल्लिखित खाते में रेखांकित चैक के माध्यम से निरस्तीकरण की तिथि से एक माह के भीतर वापिस कर दी जायेगी।
- (8) जिन आवेदकों के पास स्वयं/परिवार का कोई पक्का मकान नहीं है। को बैंक से लोने लेने पर रु. 2,50,000 की छूट प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अफोर्डेबिल योजना के अन्तर्गत प्राप्त होगी। लिये गये ऋण धनराशि की अदायगी 15 से 20 वर्षों में किये जाने की सुविधा बैंक द्वारा प्रदत्त की गयी है।
- (9) आवंटन होने के पश्चात आवंटन धनराशि का 15% एक माह के अन्दर जमा करना होगा।

8. फ्लैटों का आवंटन :-

- (1) फ्लैटों का आवंटन लॉट्री द्वारा किया जायेगा। केवल लॉट्री ड्रा में सफल होने की घोषणा से पंजीकृत इच्छुक क्रेता को उस फ्लैट का आवंटन का अधिकार प्राप्त न होगा आवंटन तभी वैध माना जायेगा जब पंजीकृत/इच्छुक क्रेता को प्राधिकरण की ओर से आवंटन पत्र जारी हो जाये वह आवंटन का पात्र हो और उसके द्वारा समस्त औपचारिकतायें समय से पूरी कर दी जायें। लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से नोटिस बोर्ड एवं प्राधिकरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (2) यदि पंजीकृत व्यक्ति के पक्ष में आवंटन हो जाने के उपरान्त वह आवंटन की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा और आवंटन के नियमों की अवहेलना के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यावाही की जायेगी और प्राधिकरण को सम्पत्ति के मूल्य पर व्याज तथा टूट-फूट के सामान आदि पर होने वाले व्यय लेने का अधिकार होगा।
- (3) आवंटी के लिये प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली नियमों/शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
- (4) पंजीकरण आवंटन आदि से सम्बन्धित आदि किसी भी मामले में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
- (5) आवंटी को फ्लैट केवल आवासीय उपयोग हेतु दिया जायेगा। किसी अन्य उपयोग के लिये नहीं होगा।
- (6) आवंटी को फ्लैट के हिस्सों में विभाजन अथवा अपने हिस्से में अन्य सम्पत्ति जोड़ने का अधिकार नहीं होगा।

- (7) यदि आवंटी और उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अव्यस्क बच्चों से है) को लॉट्री में एक से अधिक फ्लैट आबंटित होते हैं तो उसे अन्य अतिरिक्त फ्लैट का समर्पण करना होगा।
- (8) आवंटी को फ्लैट पर स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित समस्त कर आदि देने होंगे।
- (9) लॉट्री निर्धारित समय व स्थान पर उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति/समिति तथा उपस्थित आवेदकों के सामने निकाली जायेगी। लॉट्री निकाले जाने की कार्यवाही में यथा सम्भव किसी स्थानीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।
- (10) फ्लैट के निर्माण हेतु निर्माण अवधि 24 माह रखी गयी है।

9. पंजीकरण निरस्त एवं धन की वापसी :-

- (1) किसी पंजीकृत आवेदक के लॉट्री में सफल न होने तथा आवेदक के अधिकृत न होने की दशा में आवेदक द्वारा जमा धनराशि उसके उल्लिखित खाता सं. में आवंटन प्रक्रिया के एक माह के अन्दर बिना ब्याज दिये वापस कर दी जायेगी।
- (2) भूखंड आवंटन हो जाने के पश्चात् यदि कोई आवंटी आवंटन धनराशि हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो पंजीकरण की धनराशि का 10 प्रतिशत काटकर शेष जमा धनराशि आवंटी को रेखांकित चैक के माध्यम से निरस्तीकरण के एक माह के भीतर वापस कर दी जायेगी। पंजीकरण की धनराशि वह धनराशि मानी जाएगी जो आवेदन पत्र के समय जमा की गई थी।

10. लीज होल्ड चार्ज :-

आवंटी द्वारा आवासीय फ्लैट का कब्जा लिये जाने से पूर्व फ्लैट की लागत का 10-प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त फ्लैट/भवन की रजिस्ट्री व स्टाम्प ड्यूटी का खर्च आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।

11. विलेखों का निष्पादन/भूखण्ड का कब्जा :-

आवंटी को निर्धारित प्रपत्र पर उपयुक्त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर विलेख निष्पादित करने होंगे। विलेख संबंधी समस्त व्यय जैसे- ड्यूटी, रजिस्ट्री की फीस एवं लिखाई, छपाई, प्लान आदि का भार आवंटी को वहन करना पड़ेगा। आवंटी को फ्लैटों की सम्पूर्ण किश्तें/धनराशि अदा करने या विभाग द्वारा सूचित करने की तिथि से 01 माह के भीतर विलेखों का निष्पादन (रजिस्ट्री) अनिवार्य होगा। रजिस्ट्री होने के पश्चात् ही आवंटी को कब्जा प्रदान किया जायेगा। निर्धारित अवधि में कब्जा प्राप्त न करने की स्थिति में रू0 100/- प्रतिमाह की दर से अनुरक्षण व्यय देय होगा। विलम्बतम 3 माह तक कब्जा न लेने पर झाँसी विकास प्राधिकरण को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

12. आवेदक/आवंटी की मृत्यु की दशा में :-

- (1) पंजीकृत व्यक्ति/आवंटी की मृत्युपर उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, क्षतिपूर्ति, बन्धक पत्र, अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही पंजीकरण उसके नाम परिवर्तित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा उस पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी की जाती हों।
- (2) आवंटन में सफल व्यक्ति के संबंध में औपचारिकताओं की पूर्ति के पूर्व मृत्यु होने पर उत्तराधिकारियों द्वारा सम्पत्ति न लेने की दशा में जमा धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

13. कर आदि की देयता :-

- (1) आवंटी नगरपालिका अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाया गया शुल्क भी देगा। यदि इस प्रयोजन हेतु कोई कर या शुल्क प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी आवंटी को करनी होगी।
- (2) आवंटी द्वारा इन करों या शुल्क एवं ब्याज की पूर्ति न करने की दशा में कर अथवा व्यय भू-राजस्व के रूप में वसूल करने तथा उसके संबंध में होने वाला व्यय भी वसूल करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।

14. राजस्व के रूप में अवशेष देयों की वसूली

यदि आवंटी द्वारा फ्लैट के संबंध में देय किसी धनराशि का भुगतान समय के अंदर नहीं किया जाता है तो उपरोक्त अवशेष धनराशि भू-राजस्व अवशेष के रूप में उससे वसूल करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा, और इसके संबंध में होने वाला व्यय भी आवंटी को वहन करना होगा।

15. उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा:-

आवंटन की प्रक्रिया अथवा आवंटित सम्पत्ति पर कब्जा दिये जाने से संबंधित किसी भी विषय पर विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

16. संशोधन का अधिकार :-

प्राधिकरण को इस विनियामवली में किसी भी प्रकार का संशोधन किसी भी समय करने का अधिकार होगा।

17. आरक्षण

शासन के आदेश संख्या-2680/9-आ-1-98-42-विविध/96 आवास अनु-1 लखनउ दिनांक 31-08-98 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों में निम्नांकित वर्गों के लिए उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

1- अनुसूचित जाति/जनजाति (21%+2%)	23 प्रतिशत
2- पिछड़े वर्ग हेतु	27 प्रतिशत
3- विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05 प्रतिशत
4- सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं से संबंधित व्यक्ति जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं।	05 प्रतिशत
5- उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर पालिका, स्थानीय निकायों के कर्मचारी।	02 प्रतिशत
6- विकलांग व्यक्तियों हेतु	01 प्रतिशत
7- भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03 प्रतिशत

18. परिभाषाएं :-

जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :-

- (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 से है।
- (ख) 'अपंजीकृत व्यक्ति' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने प्राधिकरण की किसी योजना के भूखण्ड अथवा भवन के लिये अपना पंजीकरण न कराया हो किन्तु प्रदेशन के लिये प्रार्थी हो।
- (ग) 'अनुसूचित जाति' का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेश के अंतर्गत आने वाली जातियों से हैं।
- (घ) 'अनुसूचित जनजाति' का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेश के अंतर्गत आने वाली जातियों से है।
- (ङ) 'आवंटी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे प्राधिकरण की किसी योजना में कोई भूखण्ड या भवन प्रदिष्ट किया गया है।
- (च) 'आरक्षण' से तात्पर्य सम्पत्ति के प्रदेशन की उस प्रक्रिया से है जिसके व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष को प्राथमिकता के आधार पर सम्पत्ति प्रदष्टि की जाए।
- (छ) आवेदक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो प्राधिकरण की किसी योजना में भूखंड अथवा प्राप्ति के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करें।
- (ज) 'आय' का तात्पर्य किसी इच्छुक क्रेता की समस्त स्रोतों से होने वाले वार्षिक आय से है जिसमें इच्छुक क्रेता उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित होगी।
- (झ) 'इच्छुक क्रेता' का तात्पर्य उस पंजीकृत व्यक्ति से है जिसने प्रदेशन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थनापत्र प्रेषित किया हो।
- (ण) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी से है।
- (त) 'पंजीकृत व्यक्ति' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने प्राधिकरण की किसी योजना में भूखंड अथवा भवन के लिए अपना नाम सम्यक् रूप से पंजीकृत कराया है।

- (थ) 'पंजीकृत की अवधि'से तात्पर्य पंजीकरण की प्रक्रिया से है जिसमें प्राधिकरण की किसी योजना के अंतर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाये ।
- (द) 'परिवार' का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है ।
- (ध) 'प्राधिकरण कर्मचारी' का तात्पर्य झांसी विकास प्राधिकरण के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है ।
- (न) 'पिछड़े वर्ग' का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेश के अंतर्गत आने वाली जातियों से है ।
- (प) 'विस्थापित' का तात्पर्य ऐसे आवेदक से है जिसकी भूमि/भवन को प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो,
- (फ) 'संस्था' का तात्पर्य उससे है जो व्यक्ति से भिन्न हो और जिसका पंजीकरण प्राधिकरण में भूखण्डों अथवा भवनों के लिये न किया गया हो ।
- (ब) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य निर्मित प्लैट से है ।
- (भ) 'सुरक्षा कर्मचारी' का तात्पर्य
- (1) सेवारत और सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक
 - (2) सन् 1971 के भारत पाक युद्ध एवं कारगिल युद्ध में अपंग हुये सैनिक एवं उस युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों से है ।
- (म) 'सार्वजनिक में सेवारत व्यक्ति का तात्पर्य
- (1) केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा
 - (2) कैंटोनमेंट बोर्ड को छोड़कर किसी स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय/कम्पनी एक्ट 1958 में परिभाषित ऐसी कम्पनी सम्मिलित करते हुये जिसमें राज्य सरकार का कम से कम पचास प्रतिशत अंशदान हो में कार्यरत कमचारी से है ।
- (य) 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:-
- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो और जिसने ऐसे कार्य कलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास के लिये दण्ड भोगा हो, या जिसे नजरबंदी या अन्डर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिये रखा गया हो या जिसने कम से कम दस बेटों की सजा पाई हो या जो फरार घोषित किया गया हो या जिसने वीरगति पायी हो ।
 - (2) जो पेशावर काण्ड में रहा हो या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज का प्रमाणित सैनिक रहा हो ।
- तथा
- (3) उपरोक्त (1) और (2) में उल्लिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्य जिसमें परिवार के सदस्य का तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी या विधवा, अविवाहित बेरोजगार पुत्रियां तथा उन पर आश्रित माता व पिता अवस्यक पुत्र और आश्रित बहनों से है,
- नोट:- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने माफी मांगी हो इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं माने जायेगे ।
- (ल) उपर्युक्त के अतिरिक्त जो भी शब्द या पद इन विनियमों में प्रयुक्त हुये हैं,उनका तात्पर्य वही होगा जो उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 में दिया गया है ।


नोट:- किसी प्रकार की प्रिटिंग त्रुटि या किसी बिन्दु के संबंध में भ्रम या विवाद होने पर उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा तथा इसके लिये पंजीकृत व्यक्ति किसी भी न्यायालय या उपभोक्ता फोरम में जाने का हकदार नहीं होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण उपाध्यक्ष को संदर्भित किया जायेगा तथा उनका निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

विशेष : किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी हेतु
झाँसी विकास प्राधिकरण कार्यालय अथवा
दूरभाष सं. 0510-2441787 पर सम्पर्क करें ।

E-Mail us at :

jda_jhansi@rediffmail.com & jda_jhs@sancharnet.in


jda website : www.jdaindia.org



**TYPICAL FLOOR PLAN
(3 B.H.K.)**

**PLINTH AREA- 1200 SQFT(110.00 SQMT)
SUPER AREA- 1500 SQFT(139.40 SQMT)**

CONSULTANTS- Ar. Deepak Kumar & Ar Prasant Singh



**TYPICAL FLOOR PLAN
(2 B.H.K.)**

PLINTH AREA- 800 SQFT (74.35 SQMT)
SUPER AREA- 1000 SQFT (92.94 SQMT)

CONSULTANTS- Ar. Deepak Kumar & Ar Prasant Singh

Here are 10 things to know about the increase in carpet area for houses eligible for subsidy in MIG category under Pradhan Mantri Awas Yojana:

1. The carpet area - or the area enclosed within the walls excluding wall thickness - has been raised to 160 square metres for MIG -I and 200 square metres for MIG-II, according to the Ministry of Housing and Urban Affairs.
2. The change in rules marks a 33 per cent increase in carpet area eligible for subsidy in the Middle-Income Group (MIG) segment. Until now, the limits of 120 square metres and 150 square metres were applicable on MIG-I and MIG-II flats, respectively.
3. "The decision is another big step to boost the construction sector that contributes to increased activity on the supply side... These enhancements will now enable more MIG customers to qualify for subsidy and avail the benefits provided under the ambitious flagship mission of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)," the ministry said.
4. While the MIG I category is applicable to families with annual household income between R 6 lakh and R 12 lakh, the MIG II group is for those with annual income between R 12 lakh and R 18 lakh. "The intent of the CLSS for MIG is to support the dream of every family in owning a house."
5. For MIG I, the interest subsidy is four per cent, eligible housing loan amount is R 9 lakh and the upfront amount for subsidy is R 2,35,068. For MIG II, the interest subsidy is three per cent, eligible loan amount is R 12 lakh and the upfront amount for subsidy is R 2,30,156.

CLSS-MIG scheme details after revision

Particulars	CLSS for MIG	
	MIG - I	MIG - II
Household Income (R p.a.)	From 6,00,001 up to 12,00,000	From 12,00,001 up to 18,00,000
Interest Subsidy (% p.a.)	4.00%	3.00%
Maximum Loan Tenure	20	20
Eligible Housing Loan Amount for interest for Interest Subsidy (R)	9,00,000/-*	12,00,000/-*
Dwelling Unit Carpet Area (up to)**	160 sq.m.	200 sq.m.
Discounted Rate for Net Present Value (NPV) calculation for interest subsidy	9.00%	9.00%
Upfront Amount for Subsidy (R)	2,35,068/-	2,30,156/-

*Subsidy will be restricted to this loan amount and loan quantum beyond this limit will be at non-subsidised rates.

**With effect from 01.01.2017 i.e. from the date when the scheme became operational.

6. This augurs well with the Reserve Bank of India's policy to revise the housing loan limits for Priority Sector lending (PSL) eligibility, the ministry said.
7. The central bank last week announced its decision of raising the housing loan limits from the existing R 28 lakh to R 35 lakh in metros, and from R 20 lakh to R 25 lakh in other centres. Loans given under PSL are less expensive than those provided by the banks in their ordinary course.
8. Apart from increasing the number of beneficiaries, the increase in carpet area will improve the construction activity, and will also assist in moving the housing sector forward.

With a vision of 'Housing for All by 2022', Government of India launched a flagship program 'Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) - Housing for All' on 25th June 2015 to meet the housing shortage among the urban poor. PMAY(U) envisages construction of houses with basic amenities.

Components of PMAY(U)

Beneficiary Income Band/Category	Available through CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme)	Available through AHP (Affordable Housing Programme)	Available through BLC (Beneficiary Led Construction)
<p>• EWS* (with total assistance with subsidy participation)</p> <p>• Beneficiary contribution upto Rs. 1,00,000 if required.</p> <p>• Subsidy upto Rs. 1,50,000 per house.</p> <p>EWS*</p>	<p>• Subsidy for EWS* UG and MIG-II* (with interest subvention) through CLSS.</p> <p>• Subsidy upto Rs. 2,25,000 for EWS* and upto Rs. 1,50,000 for MIG-II* per house.</p> <p>CLSS</p>	<p>• With interest subvention upto 4% for EWS* and upto 3% for MIG-II* through AHP.</p> <p>• 37% of the structure cost upto Rs. 1.5 lakh per EWS* house.</p> <p>• General assistance of Rs. 1.5 lakh per EWS* house.</p> <p>AHP</p>	<p>• For individual or joint ownership for EWS* and MIG-II*.</p> <p>• General assistance upto Rs. 1.5 lakh per beneficiary.</p> <p>BLC</p>

* Under PMAY(U) beneficiaries can own land of one compound only. * Credit linked subsidies will also be given to EWS* & MIG-II* if the value of CLSS has been exhausted to cover the balance house cost (PMU) in the year 2017-18 and 2018-19.

❖ Beneficiary

A beneficiary family will comprise husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters. An adult earning member (irrespective of marital status) can be treated as a separate household.

❖ Eligibility

- Urban residents of EWS - Economically Weaker Section (annual income upto Rs 3 lakh) & UG - Low Income Group (annual income Rs 3 to Rs 6 lakh) and MIG - Middle Income Group (for CLSS only) (annual income MIG I - Rs 6 to 12 lakh, MIG II - Rs 12 to 18 lakh).
- The beneficiary family should not own a pucca house (an all weather dwelling unit) either in his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India.
- The houses to be acquired should be preferably in the name of the female head of the household or in the joint name of the male head of the household and his wife.

❖ Coverage

All statutory towns as per Census 2011 and towns notified subsequently including notified Planning/Development areas and areas falling within notified Planning/Development area under the jurisdiction of an Industrial Development Authority/Special Area Development Authority/Urban Development Authority or any such Authority under State legislation shall be eligible for coverage in the Mission.

❖ Carpet Area

- Maximum carpet area of EWS & UG house is 30 sqmt and 60 sqmt respectively. Central assistance fixed at Rs. 1.5 lakh for AHP & BLC vertical.

❖ Highlights

- Benefit of scheme can be availed for new construction or enhancement of existing house.
- States/UTs may decide a cut-off date for eligibility of beneficiary.
- Aadhaar Card/Bank Account Number/PAN Number (if available) is required from beneficiary.
- Progress to be tracked through geo tagged photographs of houses under BLC vertical.
- Houses will deemed to be completed only after the requisite infrastructure, particularly power supply, water supply and drainage/sanitation is made available.

❖ Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) in brief

- CLSS is a Central Sector Scheme which covers eligible beneficiaries under EWS/UG and MIG I & II categories.
- Beneficiaries of EWS/UG/MIG seeking housing loans from Banks, Housing Finance Companies and other such institutions shall be eligible for an interest subsidy at the rate of 8% for loan amounts upto Rs 1 lakh for EWS/UG at the rate of 4% for loan amounts upto Rs 3

- lakh for MIG-I and at the rate of 3% for loan amounts upto Rs 12 lakh for MIG-II. Additional loans, if any, will be at nonsubsidized rate.
- CLSS for EWS & UG will support new construction/acquisition (including repurchase) and enhancement upto 30 sqm. and 60 sqm. carpet area respectively.
- CLSS for MIG will support acquisition/construction of houses (including in purchase) upto 120sqm (for MIG I) and upto 150sqm (for MIG II) carpet area.
- Benefits under these loans are available for a maximum tenure of 20 years.
- Interest subsidy will be credited upfront to the loan account of beneficiaries.

❖ Other Initiatives under PMAY(U) - HFA

- Technology Sub-Mission: Global Housing Technology Challenge - India (GHTC) and Demonstration Housing Projects (DHP) have been initiated under Technology Sub-Mission to promote innovative, environment friendly, cost-effective and speedy construction technologies.
- Management Information System (MIS): A centralized web enabled MIS (www.pmaymis.gov.in) has been developed which acts as a source of structured information of approved projects, survey details, beneficiary information etc.
- Digital Space Technology Tools (Geo Tagging): Progress of houses constructed under the 'Beneficiary-led Construction' vertical to be tracked through geo-tagged photographs so that progress of construction can be monitored.

For more information visit Urban Local Body (ULB) for EWS, BLC and AHP components and nearest bank or housing Finance Companies for CLSS component (toll-free: 1800-11-6163; 1800-11-3388; Helpline: 1800-11-6163).



फार्मसंख्या

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

“बेतवा विहार” आवासीय योजना (2018-19) में फ्लैट हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. पिता/पति का नाम.....
3. जाति श्रेणी
- (आरक्षित श्रेणी के आवेदक संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
4. उम्र
5. पत्र व्यवहार का पता

आवेदक का
स्वप्रमाणित
पासपोर्ट
साइज फोटो

6. स्थायी पतापिन
7. आधार संख्याई-मेल.....
8. दूरभाष संख्या
9. क्या आपके नाम या आपकी पत्नी/आपके पति अथवा आपके बच्चों के नाम झाँसी विकास क्षेत्र / विकास प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय/ आवास विकास परिषद/ सहकारी समिति के अंतर्गत कोई अथवा स्वयं का निजी पक्का मकान पहले से है। **हाँ/नहीं**
(स्वयं का पक्का मकान नहीं होने पर मा0 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अफोर्डेबल आवासीय फ्लैट पर रू. 2.50 लाख की छूट बैंक द्वारा लोन लेने पर मिलेगी)
10. भूखण्ड जिसे आप लेने के इच्छुक हैं
 एम0आई0जी फ्लैट
 मिनी एम0आई0जी फ्लैट
भुगतान की पद्धति एक मुश्त किश्तों में बैंक से लोन द्वारा भुगतान
(कृपया सही (✓) का निशान लगायें)
11. क्या इस योजना के लिये आपकी सम्पूर्ण भूमि/भवन अधिगृहीत किया गया है ? **हाँ / नहीं**
12. पिछले वित्तीय वर्ष में समस्त स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय
13. आवेदक का खाता संख्या.....बैंक का नाम
- बैंक का ब्रान्च कोड.....बैंक का आई.एफ.एस.कोड.....
14. पंजीकरण धनराशि का विवरण
(क) यदि धनराशि का नगद भुगतान किया गया हो तो चालान की संख्या/ तिथि का उल्लेख करें व चालान की तृतीय प्रति फार्म के साथ संलग्न करें ।
(ख) यदि धनराशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जा रही है तो उसका विवरण अंकित करें –
बैंक ड्राफ्ट संख्या धनराशि
बैंक का नाम दिनांक

नोट :- आरक्षित श्रेणी से संबंधित उचित प्रमाण- पत्र संलग्न न होने की दशा में सामान्य श्रेणी के आवेदक के रूप में ही मान्य होंगे ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा

1. समक्ष श्रीमान सचिव, झॉंसी विकास प्राधिकरण, झॉंसी मैं (उपरोक्त नामित) एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दी गयी पंजीकरण योजना की शर्तों व दशाओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और उसका पालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ।
2. मैं यह घोषित करता हूँ /करती हूँ कि झॉंसी विकास क्षेत्र में झॉंसी विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में मेरे व मेरे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास कोई आवासीय भूखण्ड /भवन नहीं है एवं स्वयं का पक्का मकान।
3. मेरी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0.....है जिसमें मेरी पत्नी/पति/अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित है।
4. मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी नहीं छिपाया गया है और यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझ कर प्राधिकरण को दिये है तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो वह उपयुक्त समझे।
5. मैं/हम आवंटन की सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।
6. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आबंटित भवन/भूखण्ड मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी।
7. यदि मुझे या मेरे परिवार (तात्पर्य उपरोक्तानुसार) को एक से अधिक भूखण्ड/भवन आवंटित होते हैं तो मैं अन्य अतिरिक्त भूखण्डों पर दावा छोड़ते हुए प्राधिकरण को समर्पण कर दूँगा। अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान:.....

दिनांक.....

.....
(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट:-

1. उपरोक्त घोषणा संख्या 01 लगायत 08 को 10/- के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र पर दें।
2. कृपया बैंक में वांछित धनराशि जमा करने के पश्चात आवेदन-पत्र चालान की प्रति के साथ प्राधिकरण कार्यालय में जमा करके रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।

फार्म संख्या.....
प्राधिकरण कार्यालय में प्रयोग के लिये

आवेदक की पंजीकरण धनराशि रू0..... स्कूल संख्या.....
दिनांकद्वारा प्राधिकरण के पूंजी लेखा में जमा हो चुकी है और उसकी
प्रविष्टि डेली कलैक्शन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या.....पर क्रम संख्या

.....में दिनांक को की गयी है ।

प्रबन्धक
भारतीय स्टेट बैंक, फोर्ट शाखा,
झाँसी

फार्म संख्या.....
आवेदन प्राप्ति रसीद

आवेदक श्रीमती / श्रीनिवासी.....

.....
से दिनांक को बेतवा विहार आवासीय योजना से सम्बन्धित आवेदन
पत्र संख्या मय चालान संख्या.....दिनांक बाबत
धनराशि..... प्राप्त किया ।

प्रबन्धक
भारतीय स्टेट बैंक, फोर्ट शाखा,
झाँसी

फार्म संख्या

चालान संख्या

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

बेतवा विहार आवासीय योजना में फ्लैट हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्ट ब्रांच, झाँसी, में प्राधिकरण के खाता सं० 63009635762 में धनराशि जमा करने का चालान।

तृतीय प्रति

(आवेदनकर्ता को अपने पास रखने हेतु)

आवेदक का नाम व पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)	सम्पत्ति का विवरण (जिसके लिये आवेदन किया है)	धनराशि रु.....
	सम्पत्ति कोड (✓) लगाये	
	M.I.G. Type-A Flat Semi Finished	
	M.I.G. Type-B Flat Semi Finished	

रूपये (शब्दों में)

नकद धनराशि जमा करने की दशा में जमा करने की तिथि यदि बैंक ड्राफ्ट से जमा करें तो बैंक का नाम ड्राफ्ट संख्या

तिथि..... बनाने वाले बैंक का नाम

आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म संख्या

चालान संख्या

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

बेतवा विहार आवासीय योजना में फ्लैट हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्ट ब्रांच, झाँसी में प्राधिकरण के खाता सं० 63009635762 में धनराशि जमा करने का चालान।

चतुर्थ प्रति

(आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय को भेजने हेतु)

आवेदक का नाम व पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)	सम्पत्ति का विवरण (जिसके लिये आवेदन किया है)	धनराशि रु.....
	सम्पत्ति कोड (✓) लगाये	
	M.I.G. Type-A Flat Semi Finished	
	M.I.G. Type-B Flat Semi Finished	

रूपये (शब्दों में)

नकद धनराशि जमा करने की दशा में जमा करने की तिथि यदि बैंक ड्राफ्ट से जमा करें तो बैंक का नाम ड्राफ्ट संख्या

तिथि..... बनाने वाले बैंक का नाम

आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म संख्या

चालान संख्या

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

बेतवा विहार आवासीय योजना में फ्लैट हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्ट ब्रांच, झाँसी में प्राधिकरण के खाता सं० 63009635762 में धनराशि जमा करने का चालान।

प्रथम प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

आवेदक का नाम व पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)	सम्पत्ति का विवरण (जिसके लिये आवेदन किया है)	धनराशि रु.....
	सम्पत्ति कोड (✓) लगाये	
	M.I.G. Type-A Flat Semi Finished	
	M.I.G. Type-B Flat Semi Finished	

रूपये (शब्दों में)

नकद धन जमा करने की दशा में जमा करने की तिथि यदि बैंक ड्राफ्ट से जमा करें तो बैंक का नाम ड्राफ्ट संख्या तिथि..... बनाने वाले बैंक का नाम

आवेदक के हस्ताक्षर

ऊपर वर्णित धनराशि प्राप्त की और प्राधिकरण के पूंजी लेखा में दिनांकको जमा किया।

शाखा प्रबंधक

फार्म संख्या

चालान संख्या

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

बेतवा विहार आवासीय योजना में फ्लैट हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्ट ब्रांच, झाँसी में प्राधिकरण के खाता सं० 63009635762 में धनराशि जमा करने का चालान।

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा नित्य लेखा सहित प्राधिकरण कार्यालय को भेजने हेतु)

आवेदक का नाम व पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)	सम्पत्ति का विवरण (जिसके लिये आवेदन किया है)	धनराशि रु.....
	सम्पत्ति कोड (✓) लगाये	
	M.I.G. Type-A Flat Semi Finished	
	M.I.G. Type-B Flat Semi Finished	

रूपये (शब्दों में)

नकद धन जमा करने की दशा में जमा करने की तिथि यदि बैंक ड्राफ्ट से जमा करें तो बैंक का नाम ड्राफ्ट संख्या तिथि..... बनाने वाले बैंक का नाम

आवेदक के हस्ताक्षर

ऊपर वर्णित धनराशि प्राप्त की और प्राधिकरण के पूंजी लेखा में दिनांकको जमा किया।

शाखा प्रबंधक

की-प्लान

